International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 5; September 2018; Page No. 44-47

सीधी जिले में कृषि भूमि उपयोग का एक भौगोलिक अध्ययन

प्रतिभा द्विवेदी[1], डॉ0 हीरा लाल शर्मा[2]
[1] शोध छात्रा (भूगोल), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।
[2] सेवानिवृत्त प्राध्यापक भूगोल, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
भूमि उपयोग के विभिन्न मदों में कृषित उपयोग एक महत्वपूर्ण मद है। कृषि कार्य स्थैतिक नही होते, वरन वे परिवर्तनशील है। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कृषि भू–दृश्य में परिवर्तन होता रहता है, जो उसके विकास स्तर का द्योतक है। कृषि भू–दृश्य में परिवर्तन की तीव्रता क्षेत्र के आर्थिक, प्राविधिक एवं सांस्कृतिक स्तर से निर्धारित होती है। कृषि भूमि उपयोग के प्रारूप की परिवर्तनशीलता का अध्ययन पोषण स्तर के साथ नही किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् सीधी जिले में कृषि के स्वरूप एवं कृषि भूमि उपयोग में भारी परिवर्तन हुआ है। जिले की कृषि तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन पूर्ति के साथ–साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी कृषि से ही की जाती है। यहाँ की कृषि में यंत्रीकरण, सिंचाई सुविधाओं, रासायनिक खादों का उपयोग एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग बढ़ा है। उन्नत बीजों के उपयोग में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि की पद्धति एवं तकनीक में भी सुधार देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

मूल शब्द : सीधी जिला, कृषि, भूमि, उपयोग।

प्रस्तावना
कृषि मानव की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया या व्यवसाय होने के साथ–साथ जीवनयापन की एक पद्धति भी है। कृषि का विकास कब तथा कहाँ हुआ यह प्रश्न उन्नीसवीं शताब्दी से ही शोध का विषय रहा है।

भूमि मानव का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कृषि सहित सभी विकास कार्यों के लिए मूलभूत आधार प्रदान करता है। भूमि पर ही मानव विभिन्न क्रिया–कलाप करता है। अतएव भूमि उपयोग का विश्लेषण कृषि भूगोल के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। वस्तुतः भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तनशील पक्ष है, जो प्रारंभिक काल से ही मानव प्रविधि क्रम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है।

जब मानव भूमि को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये परिवर्तित एवं परिमार्जित करता है तो वह आर्थिक संसाधन इकाई में परिणत हो जाती है और भूमि से जब उत्पादक कारक के रूप में भोज्य पदार्थ, उद्योगों के लिए कच्चा माल, शक्ति प्रदायी संसाधन प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग जन जीवन एवं आर्थिक विकास हेतु किया जाता है, तो उस समय भूमि को उपयोगी पदार्थ के रूप में संज्ञा प्रदान की जाती है। कृषि के अतिरिक्त भूमि का उपयोग निवास–स्थल, पार्क, मनोरंजन स्थल आदि के रूप में किया जाता है। आज के परिवेश में भूमि की स्थिति को विशेष मान्यता प्राप्त है। 'स्थिति' से हमारा अभिप्राय यातायात, सांस्कृतिक केन्द्रों तथा भौतिक स्वरूपों से है, जिससे भूमि का महत्व, मूल्य और उपयोग निर्धारित होता है। अतः भूमि के लिए 'स्थिति' का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि सम्पत्ति है, यह मानव की मौलिक अवधारणा है। जब तक प्रबंध या देख–रेख में सम्पत्ति रहती है, व्यक्ति शक्तिशाली रहता है। भूमि का सम्पत्ति के रूप में अधिक उपयोग एवं कीमत होती है अन्यथा वह महत्वहीन हो जाती है। उत्पादन कारक के रूप में भूमि को पूँजी की मान्यता प्राप्त है। मानव अपनी आवश्यकतानुसार भूमि की उपयोगिता में वृद्धि एवं ह्रास करता रहता है। जब तक भूमि प्रकृति–प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप होती है, उसका आर्थिक महत्व अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन जब मानव अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करता है तो वह पूँजी के रूप में परिणत हो जाती है।

भारत में दो प्रकार के माध्यमों द्वारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण किये जाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा वर्ष 1951 में प्रतिदर्श विधि द्वारा सम्पूर्ण भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण और फसल उत्पादन आकलन की योजना चलाई जा रही है। इसके द्वारा देश में रबी एवं खरीफ फसलों के मुख्य अनाजों के सम्पूर्ण उत्पादन और उनके अन्तर्गत कृषिगत भूमि का विशेष विधि द्वारा आकलन किया जाता है।

भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा भी किया गया है, जो मूख्यतः प्रो.एल.डी. स्टैम्प द्वारा ब्रिटेन में प्रयुक्त की गई भूमि उपयोग सर्वेक्षण सम्बन्धी शास्त्रीय विधि द्वारा प्रेरित हुआ है। अन्य देषों की भाँति भारत में भी भूमि उपयोग से सम्बन्धित अनेक पक्षों जैसे– कृषि क्षमता, कृषि गहनता, कृषि कुशलता, कृषि उत्पादकता, आदि पर अनेक लेख प्रकाशित हुये हैं। शस्य संयोजन तथा विश्लेषण की दृष्टि से भाटिया एवं माजिद हुसेन के शोध–पत्र महत्वपूर्ण हैं। इसी अवधि में शस्य स्वरूप एवं कृषि प्रादेशीकरण से सम्बन्धित अनेक लेख प्रकाशित हुये जो भूमि उपयोग संबंधी शोधकर्ताओं के लिये विशेष सहायक हैं। जसबीर सिंह तथा पी.एस. तिवारी, डॉ. डी.एस. चौहान (1966)[1] के अनुसार– "प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि प्रयोग एक तत्सामयिक प्रक्रिया है, जबकि मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अपनाया गया भूमि–उपयोग एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है।" अतः दोनो ही शब्द दो परिस्थितियों के सूचक हैं। एच.ए.वुड (1977) के अनुसार 'भूमि–प्रयोग' केवल प्राकृतिक भू–दृष्य के संदर्भ में ही नहीं, अपितु मानवीय क्रियाओं पर आधारित उपयोगी सुधारों के रूप में भी प्रयुक्त होना चाहिये। सी. वैनजेरीं (1972) भी उपयुक्त दोनों विद्वानों के विचारों से पूर्ण–रूपेण सहमत हैं और इन्ही के कथन की पुष्टि करते हुये कहते हैं– ''भूमि–उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही उपादानों के संयोग का प्रतिफल है। डॉ. बी.बी. सिंह (1979)[2] के अनुसार कृषि

से पूर्व की अवस्था के लिये जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्णतया अनुसरण किया जाता हो, 'भूमि–प्रयोग' शब्द अधिक उपयुक्त होगा। परन्तु जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि के उचित या अनुचित उपयोग के पश्चात् लाभप्रद उपयोग अपनाता है, तो उसे भूमि–उपयोग कहना अधिक संगत होगा।

जर्मन विद्वान वॉन थ्यूनेन (1783–1850)[3] ने कृषि अवस्थिति का सर्वप्रथम सिद्धान्त 1826 में प्रस्तुत किया। उनका सिद्धान्त अंशतः एडम स्मिथ तथा एल्बर्ट वेवर जैसे अर्थशास्त्रियों के अध्ययन पर, तथा अंशतः उनके निजी अनुभवों पर आधारित था। वे मैक्लेनबर्ग में फार्म मैनेजर के पद पर दीर्घकाल तक कार्यरत रहे थे। उनका कृषि अवस्थिति का सिद्धान्त तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है, जो कृषि उत्पादों के मूल्य के नियन्त्रित करते है तथा भूमि उपयोग के प्रारूप में प्रदान करे तथा प्रतिस्पर्द्धी व्यवसाय को अन्य भूखण्ड पर स्थानान्तरित करना चाहिए जहाँ वे उच्च लाभ दे सकें। उनका यह सिद्धान्त निश्चयवादी तथा मानकीय है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र सीधी जिला मध्यप्रदेश के उत्तरी–पूर्वी भाग में 23°50′ उत्तर से 24°37′30′′ उत्तर अक्षांश तथा 81°17′30′′ पूर्व से 82°23′40′′ पूर्व देशान्तर के मध्य है। पुराने सीधी जिले से 24 मई 2008 को अस्तित्व में आये नवीन सिंगरौली जिले जिसमें देवसर, चितरंगी एवं सिंगरौली तहसीलों को लिय गया, को छोड़कर शेष बचे क्षेत्र को जिसमें गोपदबनास, चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली, कुसमी एवं सिहावल तहसीलें आती है, अध्ययन क्षेत्र माना गया है। जिले का कुल क्षेत्रफल 4720 वर्ग कि.मी. तथा जनसंख्या 1127033 (2011 की जनगणना के अनुसार) जिसमें 91.74 प्रतिशत ग्रामीण एवं 8.26 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है। जिले की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है एवं जिले के कुल क्षेत्रफल की लगभग 34 प्रतिशत भूमि कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

शोध विधि

सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं को संकलित करके निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। तथ्यों एवं सूचनाओं के संकलन की अनेक विधियाँ होती है, जो अध्ययन किये जाने वाले विषय की प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाती है। प्राथमिक सूचना स्त्रोत के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक स्थितियों का निरीक्षण करके तथा उससे संबंधित व्यक्तियों से मिलकर सूचना प्राप्त करता है। द्वितीय सूचना स्त्रोत के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता लिखित प्रलेखो द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सूचनायें एकत्रित करता है।

सीधी जिले में भूमि उपयोग :

मानवीय दृश्यावली में भूमि का स्वरूप इसके वितरण प्रतिरूप को स्पश्ट करता है। चूँकि भूमि का उपयोग मानव द्वारा विविध क्रिया–कलाप में किया जाता है, अतः उपयोग के स्वरूप के अनुसार ही पर्यावरण के तत्वों के मध्य अन्तः क्रियायें होती हैं जो भिन्नताओं को विकसित करती हैं। निष्कर्ष रूप में भूमि को प्रकृति एवं उपयोग का ढंग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में भूमि उपयोग में काफी परिवर्तत देखनें में आते है। कृषि भूमि का काफी विस्तार हुआ हैः भूमि का अधिकांश भाग खेतों के अन्तर्गत ले जाया गया है। यहां जनसंख्या का दबाब बढ़ने से खाद्यानों की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। जिससे खाद्यान के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सीधी जिले के भूमि उपयोग का अध्ययन सारणी क्रमांक 1 के द्वारा व्यक्त किया गया है।

सारणी 1: सीधी जिला[4]: क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 2010–11

क्र.	विकासखण्ड	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत
1.	सीधी	48418	11.57
2	रामपुर नैकिन	77877	18.61
3.	मझौली	72474	77.32
4.	सिहावल	74480	17.30
5.	कुसमी	145009	34.66
योग– सीधी जिला		418258	100.00

सीधी जिले के भूमि उपयोग प्रारूप का अध्ययन के पूर्व वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र (विकासखण्डवार) एवं भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत का अध्ययन करना आवश्यक है। उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल कुसमी विकासखण्ड का है, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का 34.66 प्रतिषत है। जिले में दूसरे स्थान पर रामपुर नैकिन विकासखण्ड है जिसका क्षेत्रफल 77877 हेक्टेयर है जो जिले के कुल क्षेत्रफल का 18.61 प्रतिशत है।

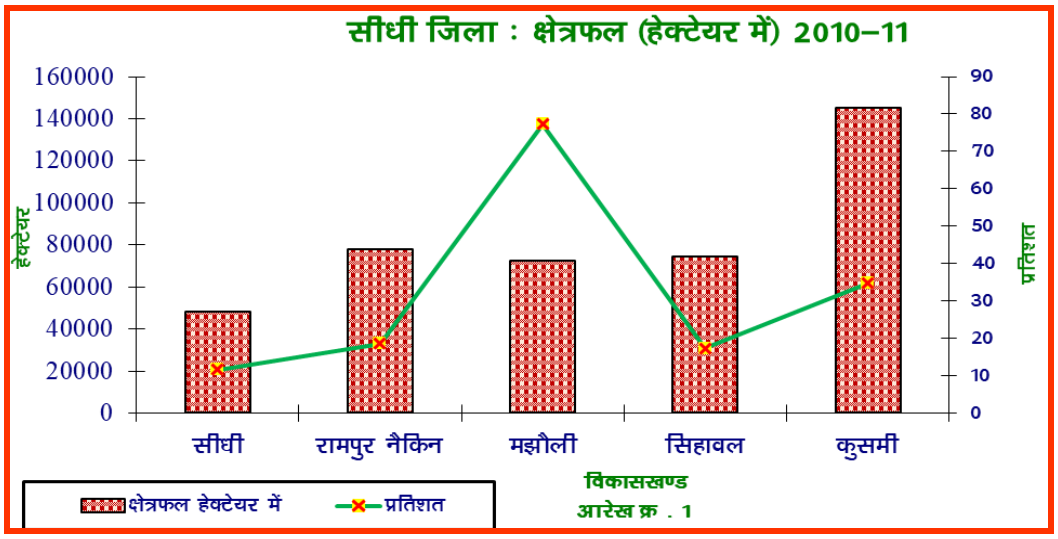

आकृति 1

सीधी जिले में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का रकबा 167248 हेक्टेयर है जिसमें सबसे ज्यादा सिहावल तहसील में 37411 हेक्टेयर तथा सबसे कम कुसमी तहसील में 16667 हेक्टेयर है। जिले में तहसीलवार शुद्ध बोया गया क्षेत्र को सारणी क्र. 4.8 के द्वारा व्यक्त किया गया है।

सारणी 2: जिला सीधी[5]: शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर) 2015

क्र.	तहसील	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रतिशत
1.	गोपदबनास	35484	21.2
2.	चुरहट	17293	10.3
3.	रामपुर नैकिन	32774	19.5
4.	मझौली	27619	16.5
5.	कुसमी	16667	9.9
6.	सिहावल	37411	22.3
योग जिला सीधी		167248	100

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जिले में सबसे ज्यादा शुद्ध बोया गया कृषि भूमि का क्षेत्र सिहावल तहसील है जो सम्पूर्ण जिले का 22.3 प्रतिशत है। इसका प्रमुख कारण भूमि का समतल होना एवं सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता है। दूसरे क्रम में गोपदबनास तहसील है 21.2 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इसी तरह रामपुर नैकिन में 19.5 प्रतिशत, मझौली में 16.5 प्रतिशत, चुरहट में 10.3 प्रतिशत एवं सबसे कम कुसमी तहसील में 9.9 प्रतिशत भूक्षेत्र शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र का है।

कृषि योग्य भूमि का वह क्षेत्र जहाँ दो सीजन (रबी एवं खरीफ) में कृषि उपज प्राप्त की जाती है वो द्विफसली क्षेत्र कहलाता है। वर्ष 2015 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सीधी जिले में कुल 64522 हेक्टेयर भूमि द्विफसली क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सबसे ज्यादा द्विफसली भूमि का क्षेत्र सिहावल तहसील में 16231 हेक्टेयर तथा सबसे कम कुसमी तहसील में 4708 हेक्टेयर भूमि द्विफसली क्षेत्र के अन्तर्गत है। जिले की समस्त तहसीलों की भूमि को सारणी क्रमांक 4.9 के द्वारा व्यक्त किया गया है।

सारणी 3: जिला सीधी[6]: द्विफसली क्षेत्र (हेक्टेयर) 2015

क्र.	तहसील	द्विफसली क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रतिशत
1.	गोपदबनास	11823	18ण्3
2.	चुरहट	7098	11ण्0
3.	रामपुर नैकिन	12423	19ण्2
4.	मझौली	12239	18ण्9
5.	कुसमी	4708	7ण्2
6.	सिहावल	16231	25ण्1
योग जिला सीधी		64522	100

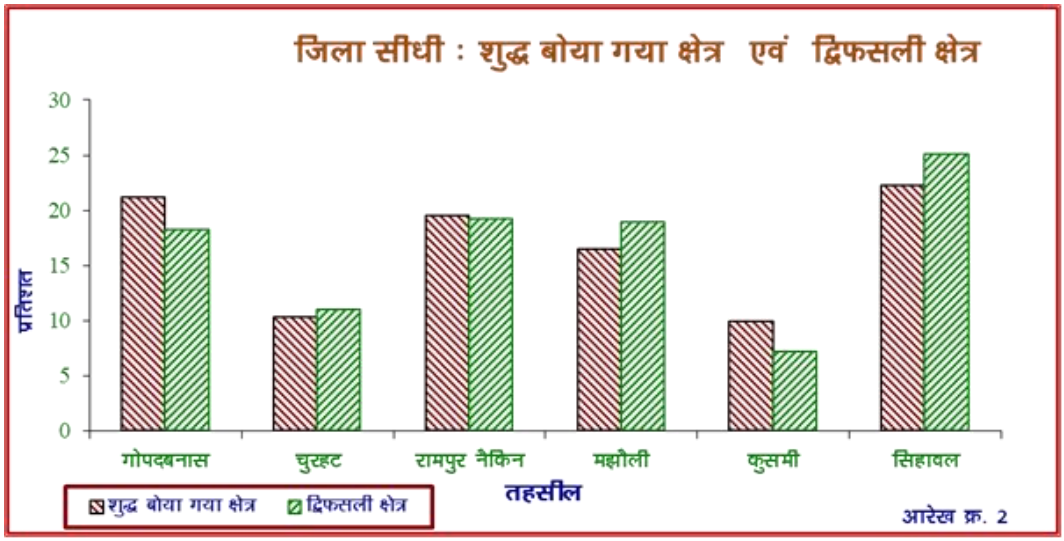

आकृति 2

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सीधी जिले में द्विफसली क्षेत्र में की जाने वाली कृषि भूमि सबसे ज्यादा सिहावल तहसील में है। यहाँ की कुल भूमि में 16231 हेक्टेयर यानी 25.1 प्रतिशत द्विफसली क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसका कारण इस तहसील में बाणसागर बाँध का पानी नहरों द्वारा पहुंचना है। सिंचाई की सुविधा ही द्विफसली भूमि में विस्तार करती है। दूसरे स्थान पर रामपुर नैकिन तहसील है। यहाँ कुल भूमि का 18.9 प्रतिशत भाग द्विफसली क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसी तरह तीसरे क्रम में मझौली 18.9 प्रतिशत, गोपदबनास का 18. 3 प्रतिशत, चुरहट का 11.0 प्रतिशत तथा सबसे कम द्विफसली क्षेत्र कुसमी तहसील में मात्र 7.2 प्रतिशत भूमि पर द्विफसली कृषि की जाती है। क्षेत्रीय अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि इसका प्रमुख कारण कृषि योग्य भूमि का अभाव है। यहाँ की ज्यादातर भूमि पहाड़ी एवं पठारी है। इसके अलावा तहसील के ज्यादातर क्षेत्र की मिट्टी बलुई है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण यहाँ द्विफसली कृषि भूमि का विस्तार बहुत कम है।

निष्कर्ष

सीधी जिले के कृषि भूमि उपयोग में अत्यधिक क्षेत्रीय असंतुलन पाया जाता है। तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या के कारण सबसे अधिक दबाव कृषि भूमि पर पड़ा है। जिले की धरातलीय बनावट, के कारण कृषित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि आसानी से तो संभव नही। अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले में कृषि का स्वरूप जीवन निर्वाहक मूलक है। जिले में पैदा की जाने वाली फसलों में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। इस विविधता का मुख्य कारण भूमि की बनावट एवं मिट्टी का एक समान न होना है। सीधी जिले में सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास न हो पाने से कृषि की निर्भरता मानसून पर ही बनी

हुई है। जिले में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बहुत अच्छा नहीं है। संपूर्ण सीधी जिले में कृषि योग्य भूमि मात्र 47990 हेक्टेयर है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 5.79 प्रतिशत है, जो कि बहुत ही कम है।

सन्दर्भ

1. Chauhan DS. Study in the Utulisation of Agricultueal Land. Agra: ShivLal & Co, 1966.
2. Singh BB. Transformation of Agriculture, Kurukshetra: Vishal, 1979.
3. Thunen JH. Von. Der Isdeerate Staut in Beziehung and Landwirschaft and Nationalokonomie pt. I, II & III, Berlin, 1826-1976.
4. कार्यालय अधीक्षक भू–अभिलेख, सीधी (म.प्र.) 2010–11
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2015 पृ. 25
6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2015 पृ. 26